Order sheet [Contd]

case No. 13 / 17 क्लेम

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

09-12-17

क्लेम प्रकरण कमांक—13 / 17 शंकर जोशी बनाम रामगोपाल आदि

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत । आवदेक शंकर जोशी द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता उप०। अनावेदक क0—1 द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता। अनावेदक क0—2 द्वारा श्री संतोष डंगरोलिया अधिवक्ता उप०। आवेदक शंकर जोशी की ओर से श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में आवेदक की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं । उन्हें आवेदक के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अनावेदक कृ0—2 की ओर से श्री संतोष डंगारोलिया अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि वे इस प्रकरण में अनावेदक कृ0—2 की ओर से राजीनामा करने के लिए अधिकृत हैं। उन्हें अनावेदक कृ0—2 के द्वारा इस प्रकरण में राजीनामा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ं उभयपक्ष की ओर से लोक अंदालत डॉकेट भरकर संयुक्त रूप से राजीनामा आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किए गये। आवेदक को श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया।

बीमा कंपनी एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से श्री संतोष डंगरोलिया अधिवक्ता के द्वारा डॉकेट पर हस्ताक्षर किये गये।

प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार उभयपक्ष ने व्यक्त किया है कि बीमा कम्पनी दुर्घटना में आवेदक शंकर जोशी को आई चोटों के लिये आवदेक को राशि रूपये 27,000/—(सत्ताईस हजार) रूपये अदा करेगी तथा अनावदेक कमाकं 01 के विरूद्ध प्रकरण निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष की ओर से स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना व्यक्त किया। राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। अतः राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामे के आधार पर आवदेक के पक्ष में निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:—

1. अना.क.—02 बीमा कपंनी दुर्घटना में आवेदक शंकर जोशी को आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति स्वरूप आवदेक को राशि 27,000 / —(सत्ताईस हजार) रूपये दो माह की अवधि में अदा करें। विहित इस अवधि में यदि राशि की अदायगी नहीं की जाती है तब विलंबित अवधि के लिये देय राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें।

- 2. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 27,000 / —(सत्ताईस हजार) रूपये आवेदक को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान किये जावें।
- 3. अनावदेक कमाकं 01 के संबंध में दुर्घटना क्षतिपूर्ति का दावा निरस्त किया जाता है।
- 4- उभय पक्ष अपना-अपना वाद वहन करेंगे ।
- 5. अधिवक्ता शुल्क 1,000 / —रूपये लगाया जावे। प्रतिलिपि पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा

जावे।

(महेशचन्द्र श्रीवास्वत) (पुष्पराज सिंह गुर्जर) (मोहम्मद अजहर) पीठासीन अधिकारी सदस्य सदस्य लोक अदालत, ANTHORIA PROPERTY PRO खण्डपीठ क. 20

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
The state of the s	necessayry

A THAT I FREE TO SEE THE SECOND SECON

